न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –16/2017 (अपील)
जीसीएमएस न0 2017/00028

1. श्रीमति मांगीबाई पत्नि प्रताप जाति गुर्जर निवासी केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायम मुकाम गौरीलाल आत्मज प्रताप जाति गुर्जर निवासी केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
2. वन विभाग कोटा जरिये वन मण्डल अधिकारी कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इंतकाल संख्या 144 दिनांक 04.01.2001 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति
1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 03.06.2025

1 अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पचपहाड तहसील लाडपुरा की सिवायचक भूमि किता 26 की रकबा 97.37 हे0 वन विभाग के खाता दर्ज किये जाने का नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 4.1.2001 को तहसीलदार लाडपुरा ने प्रमाणित किया । तहसीलदार लाडपुरा के उक्त नामान्तरकरण की अपील इस न्यायालय में पेश की गई जिसके प्रकरण संख्या 127/2007 निर्णय दिनांक 29.01.2008 से अपील इस आशय के साथ खारिज की गई कि जिस आदेश से नामान्तरकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है उस आदेश को कोई चुनोती नहीं दी गई है । अपील खारिज होने पर आदेश दिनांक 29.01.2008 की अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा में की गई, जहां से अपील प्रकरण संख्या 65/08 निर्णय दिनांक 27.11.2008 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 29.01.2008 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया किन्तु अपीलांट ने अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 27.11.2008 की निगरानी संख्या एल आर/1444/2009 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई, जहां से निर्णय दिनांक 22.11.2016 से निगरानी खारिज की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनांक 27.11.2008 यथावत कायम रखा गया ।

2 इस प्रकार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 27.11.2008 की पालना में प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा के पत्र दिनांक 13.7.2023 से ई.टी.एस. सर्वे किया जाना उचित बताने से प्रकरण में ई.टी.एस. सर्वे के आदेश दिये, जिस पर प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग एवं तहसील कर्मचारियों द्वारा दिनपांक 30.4.2025 को किया गया ई.टी.एस. सर्वे रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा के पत्रांक/1224 दिनांक 19.5.2025 से सर्वे रिपोर्ट एवं नक्शा प्रस्तुत किया गया । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

3 वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट की माता श्रीमती मांगीबाई पत्नि स्व0 प्रताप जाति गुर्जर निवासी केवलनगर को ग्राम पचपहाड तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 459 की 15 बीघा भूमि दिनांक 27.11.1975 को आवंटित की गई थी । आवंटन के पश्चात अपीलान्ट की माता को नियमानुसार कब्जा दिलाया गया, एवं जरिये नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 28.11.1975 से मांगीबाई के नाम गैर खातेदारी से आवंटित भूमि दर्ज की गई । मांगीबाई अपने जीवन काल तक निरन्तर

जिला कलक्टर
कोटा

काबिज रही तथा दिनांक 21.10.2005 को स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त से ही अपीलान्ट उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है । मांगीबाई के जीवन काल में भी अपीलान्ट उसकी माता की तरफ से उपरोक्त भूमि को काश्त करता था । गत खसरा नम्बर 459 रकबा 15 बीघा के नये खसरा नम्बर 527 बने खसरा नं0 527 में गत खसरा नं0 459 के अतिरिक्त खसरा नं0 448 व 457 का भी रकबा शामिल कर कुल रकबा 9.55 दर्ज किया जाकर सेटलमेन्ट ने भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई । सेटलमेन्ट द्वारा आवंटित भूमि को भी सिवायचक दर्ज करने की अप्रसन्नता में अपीलांट द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में अन्तर्गत धारा 88–89–91 रा0टी0एक्ट का प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 73/201 निर्णय दिनांक 30.12.2002 से दावा डिक्री किया जाकर आदेश दिये कि खसरा नं0 527 रकबा 9.55 हे0 में से 2.40 हे0 भूमि का वादी को गैर खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को रिकार्ड में अमल करने के आदेश पारित किये किन्तु इजराय के समय आवंटित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है । न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा भी उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में डिक्री की पालना नहीं करने जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों का परीक्षण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि मानते हुए प्रकरण पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 144 निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि अपीलार्थी के खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

4 पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का पारित निर्णय उचित है । अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस आदेश से स्वीकृत किया गया है, अपीलान्ट ने उस आदेश को चेलेन्ज नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

5 हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 4.1.2001 जो तहसीलदार लाडपुरा ने प्रमाणित किया गया है के विरूद्व पेश की गई है । अपीलांट का कथन उचित नहीं है कि सेटलमेंट द्वारा आवंटित गत खसरा नं0 459 के नये नम्बर 527 को सेटलमेंट विभाग द्वारा सिवायचक करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री कराया गया तथा इजराय के समय सिवायचक भूमि वन विभाग के नाम दिनांक 4.1.2001 को नामान्तरकरण स्वीकृत करना बताया है, जबकि दावा डिक्री होने के लगभग 2 वर्ष पूर्व ही यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी थी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सहायक कलक्टर के निर्णय की प्रति अनुसार 30.12.2002 को दावा डिक्री किया गया है जबकि खसरा नम्बर 527 की भूमि को नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 4.1.2001 से ही वन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी थी, नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 144 जिस आदेश से वन विभाग के नाम दर्ज हुआ उस आदेश को चेलेन्ज नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इस अपील के जरिये नामान्तरकरण संख्या 144 को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है । अपीलांट ने उक्त विवादित भूमि खसरा नं0 527 पर कब्जा काश्त होना बताया है, किन्तु कब्जा काश्त की पुष्टि में खसरा गिरदावरी की नकले संलग्न नहीं की है जिससे कब्जा काश्त होना जाहिर नहीं आता है । साथ ही उक्त भूमि वन विभाग के खाते दर्ज होने एवं प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से प्रस्तुत अपील के जरिये नामान्तरकरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है ।

6 परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

7 निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा